



2026:AHC:32528

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 1351/2026

श्रीमती मीनाक्षी सैनी

..... याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 6 अन्य

..... प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता

: सुरेन्द्र कुमार चौबे

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता

: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार।

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र कुमार चौबे, राज्य-प्रत्यर्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री राहुल मालवीय, तथा प्रत्यर्थी संख्या 2 के अधिवक्ता श्री प्रांजल मेहरोत्रा की दलीलें सुनी गईं।
2. श्री राहुल मालवीय, विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता, द्वारा निर्देश उपलब्ध कराए गए हैं। उन्होंने निवेदन किया है कि वे निर्देशों से भली-भांति सुसज्जित हैं और ये निर्देश रिट याचिका के निस्तारण के लिए स्वयं में पर्याप्त हैं; वे कोई और शपथ-पत्र दाखिल करने का प्रस्ताव नहीं रखते हैं और याचिका का निर्णय अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर ही किया जाए। अतः, पक्षों की सहमति से, रिट याचिका का निर्णय प्रारंभिक चरण में ही किया जा रहा है।
3. रिट याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उसे 01.05.2025 को सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया था। रिट याचिकाकर्ता के अनुसार, वह 05.08.2025 से 26.08.2025, 13.10.2025 से 18.02.2025, 16.09.2025 और 13.02.2025 से 15.02.2025 तक स्वीकृत अवकाश पर था। तथापि, भदोही के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिनांक 01.11.2025 को पारित एक आदेश के फलस्वरूप, रिट याचिकाकर्ता की सेवाएँ दिनांक 01.11.2025 को समाप्त कर दी गईं।
4. इसी को चुनौती देते हुए, रिट याचिकाकर्ता ने यह वर्तमान रिट याचिका दायर की है।
5. दिनांक 02.02.2026 के आदेश पारित होने के पश्चात्, आज भदोही के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के हस्ताक्षर से दिनांक 02.02.2026 के निर्देश प्रेषित किए गए हैं, जिन्हें अभिलेख पर लिया गया है और परिशिष्ट 'क' के रूप में अंकित किया गया है।
6. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क किया है कि आक्षेपित आदेश नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है और इसकी प्रकृति कलंकपूर्ण है, क्योंकि सेवा समाप्त करने का मूल कारण यह बताया गया है कि रिट याचिकाकर्ता अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित था। पैराग्राफ-14 की ओर ध्यान इसलिए दिलाया गया है, ताकि यह तर्क दिया जा सके कि रिट याचिकाकर्ता को कोई नोटिस नहीं दिया गया था; और रिट याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का कहना है कि रिट याचिकाकर्ता स्वीकृत छुट्टी पर था।
7. श्री राहुल मालवीय, विद्वान स्थायी अधिवक्ता, ने निर्देशों के आधार पर की गई दलीलों का जवाब देते हुए यह प्रस्तुत किया कि रिट याचिकाकर्ता को दिनांक 05/07.08.2025 को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जो निर्देशों के पृष्ठ-10 पर अनुलग्नक-8 के रूप में संलग्न है, जिसका रिट याचिकाकर्ता ने कोई जवाब नहीं दिया; और इसके बाद, दिनांक 01.11.2025 को, रिट याचिकाकर्ता की सेवाएँ समाप्त कर दी गईं।
8. विद्वान स्थायी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों को प्रत्यर्थी संख्या 2 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता द्वारा समर्थन दिया है।
9. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और अभिलेखों का सावधानीपूर्वक अवलोकन किया है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



10. ज़ाहिर तौर पर, रिट याचिकाकर्ता का दावा है कि वह एक संविदा कर्मचारी है और सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के तौर पर कार्यरत है; रिट याचिकाकर्ता का दावा है कि उसकी नियुक्ति 01.05.2025 को हुई थी, किंतु 01.11.2025 को उसकी सेवाएँ समाप्त कर दी गईं। जिस आदेश को चुनौती दी गई है, वह इस प्रकार है:

क्र० सं०	कर्मचारी का नाम	पद नाम	तैनातीस्थल
1.	श्री राजू पाल	आप्टोमैट्रिस्ट (आर०बी०एस०के)	सामु० स्वा० केन्द्र, औराई
2.	श्रीमती मिनाक्षी सैनी	सी०एच०ओ०	आयुष्मान आरोग्य मंदिर बैरीपरवां, अधीन सामु० स्वा० केन्द्र, गोपीगंज
3.	श्रीमती कुसूम	स्टाफनर्स (एन.बी.एस.यू.)	सामु० स्वा० केन्द्र, भदोही
4.	श्रीमती प्रिया मौर्य	स्टाफनर्स (एन.बी.एस.यू.)	सामु० स्वा० केन्द्र, भदोही

11. रिट याचिका के पैरा-14 में, रिट याचिकाकर्ता ने यह आरोप लगाया है कि उसे कोई कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया गया था। तथापि, पृष्ठ-10, अनुलग्नक-8 पर दिए गए निर्देशों का अवलोकन करने पर यह प्रतीत होता है कि दिनांक 05/07.08.2025 को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जो निम्नानुसार है:

“जिला कार्यक्रम प्रबन्धक द्वारा अपने निरीक्षण आख्या में अवगत कराया गया है कि आप द्वारा ए०एम०एस० पर फर्जी तारेक से उपस्थिति दर्ज की जा रही है, जो कि गंभीर अनियमितता की श्रेणी में आता है तथा आप केन्द्र पर भ्रमण के दौरान हमेशा अनुपस्थित रहती है एवं आप द्वारा अप्रैल 2025 से जुलाई 2025 तक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के किसी भी बैठक में उपस्थित दर्ज नहीं की गयी है। ऐसा क्यों

उपरोक्त का स्पष्टीकरण तीन दिवस के अन्दर अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें अन्यथा आपकी सेवा समाप्ति हेतु उच्चाधिकारियों को अवगत कराते हुए अग्रिम कार्यवाही कर दी जायेगी, जिसकी जिम्मेदार आप स्वयं होंगी।”

12. निर्देशों के पैराग्राफ संख्या 5 में, निम्नलिखित बात कही गई है:

“5. अधोहस्ताक्षरी के कार्यालयी पत्र संख्या : मु०चि०अ०/स्पष्टीकरण/2025-26/4781 दिनांक 07/08/2025 द्वारा तत्कालीन श्रीमती मीनाक्षी सैनी, कम्युनिटी हल्थ ऑफिसर, हल्थ वेलनेस सेक्टर, बैरी परवा को स्पष्टीकरण निर्गत किया गया जिसका प्रति उत्तर उनके द्वारा आज तक नहीं दिया गया।”

13. माननीय स्थायी वकील से जब यह सीधा सवाल पूछा गया कि क्या 05/07.08.2025 को कारण बताओ नोटिस जारी किए जाने के संबंध में कोई उल्लेख है, और साथ ही इस तथ्य के बारे में भी कि रिट याचिकाकर्ता को नोटिस तामील होने के बावजूद, उसने किसी भी दस्तावेज़ में अपना जवाब प्रस्तुत नहीं किया—तो इसका उत्तर नकारात्मक था।

14. निर्देशों के पृष्ठ-14 पर स्थित अनुलग्नक-10, जिसका संदर्भ पैरा-7 में दिया गया है, यह नहीं दर्शाता कि जिला कार्यक्रम प्रबंधक द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी को भेजे गए पत्र में, कारण बताओ नोटिस जारी किए जाने के संबंध में कोई उल्लेख किया गया है। दिनांक 01.11.2025 का पत्र नीचे उद्धृत है:

अस्वीकरण

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



“प्रेषक

जिला कार्यक्रम प्रबन्धक
एन0एच0एम0, भदोही

सेवा में

मुख्य विकास अधिकारी,
जनपद भदोही

पत्रांक : डी०पी०एम०यू०/सी०एच०ओ०/2025-26/17 दिनांक 01.11.2025

विषय - मिनाक्षी सैनी, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (सी०एच०ओ०) जाँच के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपके पत्र क्रमांक 888/एस०टी० सीडीओ०/2025-26/04 अक्टूबर 2025 के कम में श्रीमती मिनाक्षी सैनी, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (सी०एच०ओ०), आयुष्मान आरोग्य, मन्दिर, बैरीपरवां को आवश्यक कार्यवाही करते हुए निस्तारण हेतु पत्र प्राप्त हुआ। जिस कम में मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा पृष्ठांकन कर कार्यवाही हेतु मुझे प्रेषित किया गया है।

उक्त के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी को संज्ञान में देते हुए पूर्व में माह जून 2025 एवं जुलाई 2025 का वेतन बाधित किया गया था, क्योंकि मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय जाप मु०चि०अ०/निर्देश/2023/538 दिनांक 03.02.2024 के कम में समस्त सी०एच०ओ० को निर्देशित किया गया था कि वह अपने स्वास्थ्य केन्द्र के बाहर सेल्फी लेकर (उपकेन्द्र का नाम सहित) प्रत्येक दिवस ए०एम०एस० एप पर पंच इन एवं पंच आउट कर अन्यथा अनुपस्थित मानते हुए अग्रिम कार्यवाही की जायेगी जिसकी जिम्मेदारी सी०एच०ओ० की स्वयं होगी। उक्त के अनुपालन में बार-बार कहने के बाद भी श्रीमती मिनाक्षी सैनी का माह जून 2025 एवं जुलाई 2025 पूरे माह उक्त निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया तथा फर्जी तरिके से उपस्थिति दर्ज की गयी, संज्ञान लेते हुए, अधोहस्ताक्षरी स्वयं एं० डी०पी०एम० के साथ आयुष्मान आरोग्य मन्दिर, बैरीपरवां पर दिनांक 04.08.2025 को भ्रमण किया गया परन्तु उक्त सी०एच०ओ० अनुपस्थित पायी गयी, तब से लगातार बिना किसी सूचना के अनुपस्थित चल रही है। रहा पर उपलब्ध मकान मालिक द्वारा केन्द्र को खोला गया, जिसका फोटो ग्राफ एवं उक्त माह की उपस्थिति संलग्न है।

पूर्व में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय आदेश मु०वि०अ०/सी०एच०ओ०/कार्यवाही/2024-25 दिनांक 01.02.2025 के कम में माह जनवरी 2025 का भी उपस्थिति ए०एम०एस० एप पर फर्जी तरह से दर्ज पाये जाने के कारण 03 दिवस का वेतन बाधित किया गया, परन्तु उक्त सी०एच०ओ० द्वारा किसी प्रकार का स्पष्टिकरण का जवाब प्राप्त नहीं हुआ।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी के निर्देश प्रत्येक मंगलवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर समस्त सी०एच०ओ० की बैठक बुलाई जाती है, बैठक रजिस्टर के अवलोकन करने पर पाया गया कि माह अप्रैल 2025 से जुलाई 2025 तक किसी भी बैठक में उपस्थिति नहीं पायी गयी, बैठक रजिस्टर की छायाप्रति संलग्न है। साथ ही साथ आयुष्मान आरोग्य मन्दिर पोर्टल पर बेली रिपोर्टिंग की सूचना भी शून्य है, जिससे यह प्रतीत होता है कि उक्त सी०एच०ओ० द्वारा शासन के निर्देशानुसार दिये गये कार्यों में किसी प्रकार की रूची नहीं ली जाती।

अस्वीकरण

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



जिला कार्यक्रम प्रबन्धक,

एन०एच०एम० भदोही

15. निर्देशों के पैरा-7 में संदर्भ दिया गया है, जिसे नीचे उद्धृत किया गया है:
“7. मुख्य विकास अधिकारी, भदोही महोदय को संबोधित जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, एन०एच०एम०, भदोही के पत्र संख्या : डी०पी०एम०यू०/सी०एच०ओ०/2025-26/17, दिनांक 01/11/2025 को तत्कालीन श्रीमती मीनाक्षी सैनी, कम्युनिटी हल्थे ऑफिसर, हल्थे वेलनेस सेण्टर, बैरी परवा की जाँच में विस्तृत रिपोर्ट पुनः अवगत करायी गयी।”
16. चूँकि रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह विवाद उठाया गया है कि उन्हें कोई कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया गया है और रिट याचिकाकर्ता की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया गया; और यदि रिट याचिकाकर्ता को कारण बताओ नोटिस तामील कराया गया होता, तो रिट याचिकाकर्ता निश्चित रूप से उसका जवाब देता। अतः, मामले के उपर्युक्त महत्वपूर्ण पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय की राय में, इस मामले पर पुनर्विचार किए जाने की आवश्यकता है।
17. तदनुसार, रिट याचिका का निर्णय निम्नानुसार से किया जा रहा है:
 - (1) मुख्य चिकित्सा अधिकारी, भदोही द्वारा दिनांक 01.11.2025 को पारित आदेश, जहाँ तक वह रिट याचिकाकर्ता की सेवा-मुक्ति से संबंधित है, रद्द किया जाता है।
 - (2) चूँकि रिट याचिकाकर्ता को निर्देशों की प्रति मिल चुकी है और अब वह दिनांक 05/07.08.2025 के कारण बताओ नोटिस के बारे में जानने की स्थिति में है, अतः कारण बताओ नोटिस की तामील आज ही हुई मानी जाएगी।
 - (3) रिट याचिकाकर्ता 27.02.2026 तक कारण बताओ नोटिस का जवाब प्रस्तुत करेगा।
 - (4) नया आदेश मुख्य चिकित्सा अधिकारी, भदोही द्वारा आज से छह सप्ताह की अवधि के भीतर पारित किया जाएगा।
 - (5) रिट याचिकाकर्ता की बहाली, पारित किए जाने वाले अंतिम आदेशों के अधीन होगी, और आज की तारीख में जो स्थिति है, वह आदेश पारित होने तक बनी रहेगी।
18. तदनुसार, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

(माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार।)

13 फरवरी, 2026

अस्वीकरण

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”